

**कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018**

भाग-एक

1 प्रारम्भिक :-

(क) कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48 (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या-1-487/99-फिन (एल०ए०) खण्ड -1-554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया I

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार:-

क्र०सं०	विवरण	पैरा सं०	राशि (लाखों में) (₹)
1	दुकानों का मासिक किराया देय तिथि तक जमा न करने के परिणाम स्वरूप जुर्माने की राशि न वसूलना I	5.2	0.08
2	गोदामों व दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के कारण हुई वित्तीय हानि I	6	26.10
3	दुकानों के किराये में नियमानुसार वृद्धि न करने के फलस्वरूप हुई वित्तीय हानि	8	0.75
4	सेवा कर/GST (Goods and Service Tax) का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड (Penalty) के रूप में किया गया अपव्यय I	9	2.21
5	निक्षेप कार्यो हेतु जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	10	43.07
6	उप मार्केट यार्ड-जाहू के विश्राम गृह हेतु क्रय फर्नीचर इत्यादि के रूप में किया गया अपव्यय	11	1.82
7	बिना निविदायें आमंत्रित किए क्रय करने बारे	12	0.18

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट “क” में दी गई है I

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक नियंत्रक व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 24.09.18 से 25.10.2018 तक हमीरपुर में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	03/2016	03/2016
2016-17	03/2017	03/2017
2017-18	06/2017	07/2017

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को सचिव/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है I स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है I विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है I

अंकेक्षण अवधि में श्री अनिल चौहान सचिव द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया गया I

3 अंकेक्षण शुल्क :-

कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹173151 किया गया, जिसे समिति द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या- 204715 दिनांक 29.10.2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश-शिमला-9 को प्रेषित कर दिया है I

4 वित्तीय स्थिति :-

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में कृषि उपज मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारम्भिक शेष	13843954.42	15674941.11	19273846.11
आय	11947198.00	12259843.00	13177876.98
व्याज	1274576.69	1260082.00	1325645.00
अनुदान राशि	---	250000.00	---

योग	27065729.11	29444866.11	33777368.09
व्यय	9731356.00	9928020.00	10664156.00
डिपोजिट वर्क हेतु बोर्ड को	1659432.00	243000.00	2404333.00
हस्तांतरित राशि			
अन्तिम शेष	15674941.11	19273846.11	20708879.09

दिनांक 31.03.18 को विभिन्न बैंक खातों में शेष का विवरण निम्नलिखित है एवं इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट “ख” में दिया गया है I

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.15

Balance as per Cash Book :	Rs. 20708879.09
Balance as per Pass Book:	Rs. 3479180.09
Investment in FDR'S as on 31.03.2018	Rs. 17114665.00
Difference (Please see Bank Reconciliation Statement)	Rs. 115034.00

Bank Balances as on 31.03.2018

Sr.No.	Name of Bank	Account Number	Balance as per Pass Book
1	IDBI Hamirpur	1038104000024100	5983
2	ICICI Hamirpur	50201000469	1976214.08
3	UCO Bank Hamirpur	11500100008391	7796.11
4	KCCB Hamirpur	20005047423	6234
5	KCCB Nadaun	20018019627	354457
6	KCCB Barsar	20011012674	79774
7	KCCB Jahu	50052775930	120803
8	PNB Dorsarka	21100109264297	37653
9	Axis Bank Hamirpur	916010059622959	127785
10	HDFC Bank Hamirpur	50100128568896	1069
11	HDFC Bank Hamirpur	50200024689096	761411.9
Total			3479180.09
12	FDR's balance as on 31.03.18		17114665
G.Total			20593845.09

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.2018

Sr.No.	Particulars	Debit	Credit
	Balance as per cash book	20708879.09	
1	Cheques deposited into ICICI bank but not cleared up to 31.03.2018		
	Date	Cheque No.	Amount
	31.03.2018	419510	17026
	31.03.2018	10188	4875
	31.03.2018	0.05901	115
	31.03.2018	0.00279	9220
	31.03.2018	0.00262	3508
	31.03.2018	0.05902	5202
	31.03.2018	0.10917	9100
	31.03.2018	265579	14958
	31.03.2018	942671	4822
	31.03.2018	498127	13208
	Total	82034	82034
2	M/s Verka milk agency transfered market fee through NEFT but not credited into HDFC a/c upto 31.03.2018 vide R.no.503914 dt.31.03.18		33000
	Balance as per various pass books a/c		3479180.09
	Balance as per various FDR's a/c		17114665.00
	Total	20708879.09	20708879.09

(ख) दिनांक 31.03.18 तक सावधि जमा में निवेशित राशि निम्नलिखित है एवं इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट “ग” में दिया गया है I

Sr. N0.	Name of the bank	FDR Nos	Date of Investment	Invested amount	Period (in year)	Rate of Intt (P.A.)	Date of Maturity	Maturity value
1	KCCB, Hamirpur	50300202 271911	16.06.17	1414834	1Year	6.95%	17.06.18	1516047
2	KCCB, Hamirpur	50300216 169572	19.09.17	687226	1Year	6.75%	19.09.18	734938
3	ICICI Bank	50213001	13.10.17	1063705	1Year	6.75%	13.10.18	1137343

	Hamirpur	095						
4	ICICI Bank Hamirpur	50213001 098	16.10.17	2436394	1Year	6.75%	16.10.18	2605060
5	ICICI Bank Hamirpur	50213001 114	31.10.17	1442658	1Year	6.75%	31.10.18	1542530
6	HDFC Bank Hamirpur	50300228 609705	22.12.17	1333083	1Year	6.75%	23.12.18	1425633
8	Axis Bank Hamirpur	91804000 2799348	02.01.18	6593047	1Year	6.75%	02.01.19	7049470
9	PNB, Dosarka	641300PU 00003846	10.03.18	2143718	1Year	6.60%	10.03.19	2288744
			G.Total	17114665				

5.1 दिनांक 31.03.18 को दुकानों का किराया ₹3810 वसूली हेतु शेष:-

जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.18 को दुकानों के किराये के रूप में ₹3810 वसूली हेतु शेष है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है व विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट-‘घ’ पर दिया गया है I

मैसर्स भोला फ्रूट कम्पनी- नादौन ₹3810

अतः उक्त बकाया किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए I

5.2 दुकानों का मासिक किराया देय तिथि तक जमा न करने के कारण जुर्माने की ₹7958 (5178+2780) को न वसूलने बारे :-

जांच के दौरान पाया गया कि कि अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक समिति के उप मार्केट यार्ड- नादौन व उप मार्केट यार्ड- जाहू के दुकानों के किराए की देय राशि को देरी से/ देय तिथि के उपरान्त जमा करवाया गया था लेकिन अनुबन्ध की शर्त के अनुसार जुर्माने की राशि को न वसूल कर किरायेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था I किराये के अनुबन्ध के क्रम संख्या 3 के अनुसार प्रतिमाह किराये की देय राशियों को अग्रिम रूप में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक या इससे पूर्व वसूल किया जाना अपेक्षित था अन्यथा इसके उपरान्त प्रत्येक माह की दिनांक 8 से 15 तक के मध्य किराये की राशि को जमा करने पर ₹100 जुर्माने के रूप में वसूलने अपेक्षित था तथा दिनांक 15 के उपरान्त किराये की राशि को जमा करने पर ₹20 प्रतिदिन जुर्माने के रूप में व अधिकतम ₹300 तक वसूलने अपेक्षित थे I विभिन्न किरायेदारों से वसूली योग्य जुर्माने की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) उप-मार्किट यार्ड नादौन

किरायेदार का नाम	दुकान/बूथ संख्या	मासिक किराया (₹)	किराये के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	किराया वसूली की दिनांक (दिनांक 8 से 15 तक)	दिनांक 15 के पश्चात किराये की वसूली	जुमाने की राशि
मै० वैष्णो फ्रूट कंपनी	3	1403	3	10.08.2015		1X100=100
मै० भोला फ्रूट कंपनी	4	1403	4	13.07.15, 14.08.15, 14.09.15, 19.01.16, 24.02.16, 18.03.16, 11.05.16, 12.09.16, 10.10.16, 09.11.16, 10.01.17, 09.02.17, 12.04.17, 22.12.17, 16.01.18, 05.09.18 for 02 & 03/2018.	19.01.16, 24.02.16, 18.03.16, 22.12.17, 16.01.18, 05.09.18 for 02/18 & 03/18.	18X100= 1800 44X20 = 880 Less:paid= 282 Netdue = 2398
मै० कांगू फ्रूट कंपनी	5	1403	5	12.10.17		1x 100= 100
मै० सागर फ्रूट कंपनी	6	1403	35	16.03.18	16.03.18	1X100=100 1X 20 =20
० राज फ्रूट कंपनी	7	4100	13	12.10.17		1X100=100
मै० गुरु कृपा फ्रूट कंपनी	10	1634	9	10.06.15, 10.08.15, 14.09.15, 19.11.15 for 09 & 10/15, 08.01.16 for 12/15 & 01/2016, 10.02.16, 16.03.16.	19.11.15 for 09 & 10/15, 08.01.16 for 12/15, 16.03.16	9X100=1800 22X20 =440
मै० चाँद फ्रूट कंपनी	12	1403	56	16.03.18	16.03.18	1X100=100 1X20 = 20
कुल राशि						5178.00

(ख) उप-मार्किट यार्ड जाहू

किरायेदार का नाम	दुकान/बूथ संख्या	मासिक किराया (₹)	किराये के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	किराया वसूली की दिनांक (दिनांक 8 से 15 तक)	दिनांक 15 के पश्चात किराये की वसूली	जुमाने की राशि
मै० विशाल फ्रूट कंपनी	2	1375	7	24.04.15, 10.06.15, 11.03.16, 21.07.18	24.04.15, 21.07.15	4X100=400 15X20= 300
मै० सुरिन्दर सिंह & सन्त	3	1375	10	24.04.15, 10.06.15, 10.07.15, 11.03.16	24.04.15	4X100=400 9 X20 =180
मै० धनी राम & ब्रोस	4	1375	13	24.04.15, 10.06.15, 10.07.15, 11.03.16	24.04.15	4X100 =400 9X20 =180
मै० भूमि फ्रूट कंपनी	6	1900	20	22.08.15, 11.03.16	22.08.15	2X100=200 7X 20= 140
मै० रमेश चन्द & सन्त	गोदाम-3	3867	34	24.04.15, 10.06.15, 10.07.15, 11.03.16	24.04.15	4X100=400 9X20 =180
कुल राशि						2780.00

इस अनियमितता बारे प्रकरण सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 248/2018 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लाया गया है तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-954 दिनांक 25.10 .2018 के द्वारा सूचित किया है कि सम्बन्धित व्यापारियों/लाइसेंस

धारियों से जुर्माने की राशि की वसूली करके तदनुसार अनुपालना से अवगत करवा दिया जाएगा।

6 मंडी समिति के यार्ड व उप-यार्ड के गोदामों व दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के फलस्वरूप ₹26.10 लाख की हुई वित्तीय हानि के संदर्भ में :-

जांच के दौरान पाया कि यार्ड-हमीरपुर, उप-यार्ड-जाहू व उप यार्ड- नादौन के कुछ गोदामों व दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया है। अतः इन गोदामों व दुकानों को किराये पर आबंटित न करने के फलस्वरूप मंडी समिति को दिनांक 31.03.18 तक ₹2609524 की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr.No.	Shop No.	Name of yard/sub yard	Rent of Shops per month	Vacant w.e.f.	Nos. Of month upto 31.03.18	Financial loss (approx.)
1	Booth No. 3	Market Yard Hamirpur	1560	12.07.2017	8	12480
2	Booth No. 4	Market Yard Hamirpur	1560	12.07.2017	8	12480
3	Shop No. 9	SMY Nadaun	1403	14.07.2017	8	11224
4	Shop No.1	SMY Jahu	1375	23.05.2017	10	13750
5	Shop No. 5	SMY Jahu	1375	26.04.2016	23	31625
6	Shop no. 8	SMY Jahu	1375	23.05.2017	10	13750
7	Shop No. 7	SMY Jahu	1375	01.03.2016	25	34375
8	Godown No. 1	SMY Jahu	3315	Sep-13	55	182325
9	Godown No. 2	SMY Jahu	3315	Sep-13	55	182325
10	Godown No. 3	SMY Jahu	3315	(Sept,12)Not Occupied	67	222105
11	Godown No. 4	SMY Jahu	3315	(Sept,12)Not Occupied	67	222105
12	Godown No. 5	SMY Jahu	3315	(Sept,12)Not Occupied	67	222105
13	Godown No. 6	SMY Jahu	3315	(Sept,12)Not Occupied	67	222105
14	Godown No. 7	SMY Jahu	6310	(Sept,12)Not Occupied	67	422770
15	6 Nos Shops at 1st floor	SMY Jahu	2000	(Sept,12)Not Occupied	67 x 6	804000
					Total Rs....	2609524

इस अनियमितता बारे मामला सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 247/2018 दिनांक 22.10.2018 द्वारा लाया गया है तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-955 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा सूचित किया है कि कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर की बैठक दिनांक 22.10.2018 में उपरोक्त दुकानों के आबंटन हेतु अखबारों में बिज्ञापन देने का निर्णय लिया है ताकि उपरोक्त दुकानों का आबंटन किया जा सके। अतः उपरोक्त दुकानों के आबंटन हेतु अतिशीघ्र प्रयास किए जाएँ तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 लाइसेंसधारकों से निर्धारित प्रपत्र 'ओ' पर रिटर्न प्राप्त न करने एवं मण्डी शुल्क की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि में विभिन्न फ़र्मों/व्यापारियों से प्राप्त मण्डी शुल्क से संबन्धित अभिलेखों की जांच पड़ताल करने पर पाया कि कृषि उपज समिति हमीरपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार लाइसेंसधारकों से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र "ओ" पर विवरणी प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनसे देय मंडी शुल्क की पुष्टि नहीं हो सकी।

क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	अवधि
1	मैसर्ज वर्धमान ट्रेडर्स -नादौन	01.03.18 से 31.03.18 तक
2	मैसर्ज रोशन लाल रविन्द्र कुमार-नादौन	01.03.18 से 31.03.18 तक
3	मैसर्ज नमन EGGGS स्टोर-भोटा	27.03.18 से 31.03.18 तक
4	मैसर्ज एस.के. इंटरप्राइजज-मेहरे	01.04.17 से 31.03.18 तक
5	मैसर्ज जोहली राम एण्ड सन्ज-बेहरड	01.04.17 से 31.03.18 तक

इस अनियमितता को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 258/2018 दिनांक 22.10.2018 द्वारा लाया गया है व सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-952 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा सूचित किया है कि कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर द्वारा इन फ़र्मों से मंडी शुल्क की वसूली करके अनुपालना से अवगत करवा दिया जाएगा। अतः शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

8 दुकानों के किराये में नियमानुसार वृद्धि न करने के फलस्वरूप ₹0.75 लाख की वित्तीय हानि

कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर के उप-यार्ड नादौन में आबंटित दुकानों के किराये में नियमानुसार/अनुबंध की शर्तानुसार प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 10% की वृद्धि की जानी अपेक्षित थी I जाँच में पाया गया कि नियमानुसार दुकानों/बूथों के किराये में वृद्धि नहीं की गई है, परिणामस्वरूप समिति को निम्न विवरणानुसार ₹75104 की वित्तीय हानि हुई है I

क्रम स.	विवरण	टार्इप –I			टार्इप – II		
		दिनांक	जितने माह कम वृद्धि की गई	जितनी कम वृद्धि की गई	दिनांक	जितने माह कम वृद्धि की गई	जितनी राशि की कम वृद्धि की गई
1	दुकानों/बूथों की आबंटन तिथि	01.01.2006			05.09.2007		
	किराया प्रति माह प्रति दुकान	1100/-			1300/-		
2	जिस तिथि को समिति द्वारा किराये में वृद्धि की गई	01.01.2009			01.09.2009		
	किराया प्रति माह	1275/-			1430		
	जिस तिथि को किराये में वृद्धि की जानी चाहिए	01.01.2009			05.09.2010		
	किराया प्रति माह	1275/-			1430		
	किराये में जितनी कम वृद्धि की गई (1275-1275)	0	0		0		
3	जिस तिथि को समिति द्वारा किराये में वृद्धि की गई	01.01.2014			01.01.2014		
	किराया प्रति माह	1403/-			1573/-		
	जिस तिथि को किराये में वृद्धि की जानी चाहिए	01.01.2012			01.09.2013		
	किराया प्रति माह	1403/-			1573/-		
	किराये में जितनी कम वृद्धि की गई प्रति माह (1403-1275)	128/-	24 माह	3072	143 (1573-1430)	4 माह	572
4	जिस तिथि को समिति द्वारा किराये में वृद्धि की गई	01.01.2018			01.01.2018		
	किराया प्रति माह	1544/-			1731/-		
	जिस तिथि को किराये में वृद्धि की जानी चाहिए	01.01.2015			01.09.2016		
	किराया प्रति माह	1544/-			1731/-		
	किराये में जितनी कम वृद्धि की गई प्रति माह (1544-1403)	141	36 माह	5076	158 (1731-1573)	16 माह	2528

5	जिस तिथि को समिति द्वारा किराये में वृद्धि की गई	-----					
	किराया प्रति माह	1544/-					
	जिस तिथि को किराये में वृद्धि की जानी चाहिए	01.01.2018					
	किराया प्रति माह	1699/-					
	किराये में जितनी कम वृद्धि की गई प्रति माह (1544-1699)	155	3 माह (upto 31.03.18)	465			
6	प्रति दुकान/बूथ के किराये में कुल जितनी कम वृद्धि की गई दिनांक 31.03.18 तक			8613			3100

उक्त विवरणानुसार टाईप –I में वर्णित उप-यार्ड नादौन की 8 नंबर दुकानों का आबंटन दिनांक 01.01.06 को किया गया है, जिनके किराये में कुल ₹68904 (8613 x 8) की कम वृद्धि की गई है, जिन फर्मों को यह दुकानें आबंटित की गई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम स0	दुकान संख्या	फर्म का नाम
1	1	मै. गुलवंत फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी नादौन
2	2	मै. हर्ष कुमार नवीन कुमार नादौन
3	3	मै. वैष्णो फ्रूट कम्पनी नादौन
4	4	मै. भोला फ्रूट कम्पनी नादौन
5	5	मै. कानंगो फ्रूट क. नादौन
6	6	मै. सागर फ्रूट क. नादौन
7	11	मै. गुलवंत फ्रूट कम्पनी नादौन
8	12	मै. चाँद फ्रूट क. नादौन

इसके अतिरिक्त उक्त विवरणानुसार टाईप – II में वर्णित उप-यार्ड नादौन की 2 नंबर दुकानों का आबंटन दिनांक 05.09.2007 को किया गया है जिनके किराये में कुल ₹6200 (3100 x 2) की कम वृद्धि की गई है, जिन फर्मों को यह दुकानें आबंटित की गई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम स0	दुकान संख्या	फर्म का नाम
1	8	मै. वैष्णो फ्रूट क. नादौन
2	10	मै. गुरु किरपा फ्रूट एंड वेजी.-नादौन

इस अनियमितता बारे मामला सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 249/2018 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लाया

गया है तथा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-953 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा सूचित किया है कि इस सन्दर्भ में आबंटकों से किराये में हुई वृद्धि की राशि की वसूली भविष्य में कर ली जाएगी तथा अनुपालना से अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अतिशीघ्र किराए की वसूली की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

9 सेवा कर/GST (Goods and Service Tax) का समय पर भुगतान न करने के कारण दण्ड (Penalty) के रूप में ₹2.21 लाख का अपव्यय :-

जाँच में पाया गया कि सेवा कर/GST (Goods and Service Tax) अधिनियम के प्रावधानानुसार सेवा कर का भुगतान प्रति माह पांच तारीख से पहले किया जाना अपेक्षित था, लेकिन विपणन समिति हमीरपुर द्वारा सेवा कर/GST अधिनियम एवं हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन समिति उप नियम 2007 के पैरा 62(xxi) में दिए गए प्रावधानानुसार सेवा कर दुकानों/बूथों के किरायेदारों से वसूल करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा ₹221071 का दण्ड समिति को लगाया गया, जिसका भुगतान कृषि उपज विपणन समिति हमीरपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार किया गया:-

क्रम स0	विवरण	वाउचर स0	दिनांक	जिस अवधि का दण्ड जमा किया	भुगतान की गई राशि
1	Penalty u/s 76	186	18.03.16	01.10.11 to 31.03.15	143854
2	Interest u/s 75	186	18.03.16	01.10.11 to 31.03.15	77217
	Total				221071

इस अनियमितता को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 245/2018 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लाया गया है व सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-957 दिनांक 25.10.2018 द्वारा सूचित किया है कि सबसे पहले कृषि उपज समिति हमीरपुर GST के दायरे में नहीं आती थी, क्योंकि 10 लाख के ऊपर आने वाला किराया ही इसके दायरे में आता है जबकि मंडी समिति का किराया 10 लाख से नीचे ही आता था। परन्तु GST विभाग द्वारा पूरे हिमाचल की कमेटियों व बोर्ड की इनकम को इकट्ठा करके एक ही आय घोषित करके सबके ऊपर 2007 से 2015 तक वस्तु एवं सेवाकर की गणना करके नोटिस जारी कर दिए गए तथा साथ ही

2007 से हर महीने की पांच तारीख से पहले सेवाकर जमा न करवाने पर दण्ड स्वरूप ₹221071 का दण्ड भी लगाया गया I इस सन्दर्भ में ट्रिब्यूनल से अपील दायर करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पत्र संख्या-एच.एम्.बी./63/2004 भाग-1-3592 दिनांक 20.07.2015 वस्तु एवं सेवाकर व दण्ड राशि को शीघ्र जमा करवाने हेतु निर्देश दिये गए थे ताकि अपील की जा सके I उपरोक्त मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है जैसे ही मामले में निर्णय आया अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा I

10 निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु जमा की गई ₹43.07 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:-

जाँच में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति, हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के दौरान समिति द्वारा विभिन्न कार्यों (डिपोजिट वर्क) के एवज में विपणन बोर्ड के पास निम्न विवरणानुसार ₹4306765 जमा करवाई गई, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये गए I कार्यवार डिपोजिट कार्य हेतु बोर्ड को भेजी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr.No	Purpose of Deposit	Taken into cash book on dated	Amount deposited	Utilized	Balance	Remarks UCC send on to MC
1	Financial Year 2015-16					
	Repair & Maintenance of SMY Nadaun Distt Hamirpur	15.05.2015	148107			Pending
	Alteration in Chairman office, relaying of Sewerage pipe from main building to septic tank	15.05.2015	334450			Pending
	Annual Repair & Maintenance of Office toilet, bathroom etc in RMY Hamirpur	15.05.2015	440550			Pending
	Replace of CGI Sheet, Roofing including structural steel Auction platform at RMSY Nadaun	17.03.2016	736325			Pending
2	Financial Year 2016-17					
	Renovation of Toilet Block at SMY Nadaun.	08.12.2016	243000			Pending

C/o SMY Sujampur	03.06.2017	1700000
SH: 4 nos of Shops, Auction platform & toilet blocks		
C/o SMY Sujampur	22.06.2017	704333
SH: 4 nos of Shops, Auction platform & toilet blocks		
Total		4306765

इस अनियमितता को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - हमीरपुर के ध्यान में सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या : 246/2018 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लाया गया है व सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ने अपने पत्र संख्या: एम्.सी.एच.-2-16/93-भाग-4-956 दिनांक 25.10.2018 द्वारा सूचित किया है कि इस सन्दर्भ में बोर्ड को उपरोक्त भेजी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया है I भविष्य में जैसे ही बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होंगे, अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा I अतः अतिशीघ्र विपणन बोर्ड से उपरोक्त निर्माण कार्यों के हेतु जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए I

11 उप मार्केट यार्ड-जाहू के विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि की खरीद हेतु ₹1.82 लाख का अपव्यय:-

वाउचर संख्या -204 दिनांक 30.03.2017, ₹181886 की जांच में पाया गया कि फर्नीचर की खरीद कृषि उपज मण्डी समिति – हमीरपुर के उप मार्केट यार्ड-जाहू के विश्राम गृह हेतु की गई जबकि आज दिनांक तक इस विश्राम गृह से कोई भी आय अर्जित नहीं हुई है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्राम गृह प्रचलन में नहीं है I यह एक वितीय अनियमितता है I अतः उक्त फर्नीचर को बिना किसी उद्देश्य के क्रय करने व उसे प्रयोग में न लाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह परामर्श दिया जाता है कि उप मार्केट यार्ड-जाहू के विश्राम गृह को अतिशीघ्र प्रचलन में लाया जाए ताकि किराये के रूप में कृषि उपज मंडी समिति-हमीरपुर की आय में वृद्धि हो I

12 बिना निविदायें आमंत्रित किए ₹18500 की सामग्री का क्रय करने बारे :-

चयनित माह 07/2017 के खर्चों की जांच के दौरान पाया कि निम्न विवरणनुसार सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किये बिना किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के

नियम 100 की उल्लंघना है I यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था I अतः बिना निविदायें आमंत्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही खरीद की जाए I

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	मात्रा	राशि
81 दिनांक 27.07.2017	Bill No 332 Dated 14.07.17, M/s Panwar Studio-Shimla.	Photos/Blow ups 20''x30''	2 Nos.	8000
		Photos/Blow ups 20''x24''	3 Nos.	10500
कुल राशि				18500

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति के विभिन्न भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि नियमानुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित था I अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए I

14 लघु आपति विवरणी :-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

15. निष्कर्ष :-लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है I

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177-2620881

पृष्ठान्कनसंख्या:-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)132 / 89-खण्ड-4-404-406,दिनांक:,19.1.19
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला-171002
2. अवर सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002

पंजीकृत:- 3. सचिव, मण्डी समिति हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं०-0177-2620881

परिशिष्ट- क (पैरा संख्या -1 (ग) से संबन्धित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | पैरा- 16 | अंशतः निर्णीत (क्रम संख्या 5,6 एवं 7 की वसूली शेष है) |
|---|----------|---|

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

- | | | |
|---|---------|----------|
| 1 | पैरा- 8 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा- 9 | अनिर्णीत |

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | पैरा- 8 | निर्णीत (वसूली गत अंकेक्षण में कर ली गई थी तथा सटिप्पण उत्तर के अनुसार) |
| 2 | पैरा- 9 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा- 10 | निर्णीत (वरिष्ठ अधीशाषी अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड मण्डल बडसर से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र : एन ओ सी /2017-18-11516 दिनांक 16.03.2018 प्राप्त कर लिया गया है) |
| 4 | पैरा- 14 | निर्णीत (प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्या : एच एम बी/ 10-ए-3/2005 दिनांक 2.5.2014 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों एवं सटिप्पण उत्तर के अनुसार) |

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | पैरा- 3 | निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क की राशि ICICI बैंक के ड्राफ्ट संख्या 202658 दिनांक 2.11.2015 के द्वारा भेज दी गई है |
| 2 | पैरा- 4 | निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शा दी गई है) |
| 3 | पैरा- 5(क) | निर्णीत (APMC द्वारा जुर्माना ₹9800 की वसूली किराएदारों से करने की पुष्टि कर ली गई) |

- 4 पैरा- 5(ख) अंशतः निर्णीत (APMC द्वारा ₹9740 जुर्माना राशि की वसूली किराएदारों से करने की पुष्टि कर ली गई)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित किराएदारों से जुर्माना राशि की वसूली की जानी शेष है :--

किराएदार का नाम	दुकान/बूथ संख्या	जुर्माने की राशि
मै० भोला फ्रूट कम्पनी	4	1660
मै० सागर फ्रूट कम्पनी	6	1180
मै० गुरु कृपा फ्रूट कम्पनी	10	2140
योग		4980

- 5 पैरा- 5(ग) अंशतः निर्णीत (APMC द्वारा ₹13880 जुर्माना राशि की वसूली किराएदारों से करने की पुष्टि कर ली गई)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित किराएदारों से जुर्माना राशि की वसूली की जानी शेष है :--

किराएदार का नाम	दुकान/बूथ संख्या	जुर्माने की राशि
मै० ठाकुर फ्रूट कम्पनी	1	1660
मै० संधू फ्रूट कम्पनी	गोदाम	300
मै० भारत फ्रूट कम्पनी	गोदाम	200
योग		2160

- 6 पैरा- 6 अनिर्णीत

- 7 पैरा- 7 निर्णीत(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)

- 8 पैरा- 8 अंशतः निर्णीत (पैरे में क्रम संख्या 7,11,27,33 पर दर्शाई गई फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से रिटर्न तथा शुल्क प्राप्त करने की पुष्टि करने के उपरान्त)

- 9 पैरा- 9 निर्णीत(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)

- 10 पैरा- 10 अनिर्णीत

- 11 पैरा- 11 अंशतः निर्णीत (निम्नानुसार ₹496415 की वसूली कर ली गई है व ₹59681 की वसूली शेष है I

Name of the Firm	Service-tax due	S-tax recovered	Pending recovery	Receipt no & Date	Remarks
------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	---------

Nand lal Ramesh Kumar	20894	20894	0	502348 /15.03.2018	
Suresh Kumar Mohan Lal	20894	20894	0	502349 /15.03.2018	
Jagdish Lal Bhatia & Sons	20894	20894	0	502339 /08.03.2018	
Kewal Krishan & Co.	20894	20894	0	502359 /08.03.2018	
Vinod Kumar	20894	20894	0	502341 /08.03.2018	
Ramesh Kumar Vijay Kumar	20894	20894	0	502354 /21.03.2018	
Ravi Chand Narinder Kumar	20894	20894	0	502352 /21.03.2018	
Chopra Fruit Company	14697	14697	0	502356 /24.03.2018	
Vaishnoo Fruit Company	56272	25000 31272	0	502346 /15.03.2015 504664 /06.08.2018	
Raj Shree Fruit Company	14697	1378 13319	0	502381 /15.05.2018 504417 /19.06.2018	15000/- incl (S.Tax 1378 +13622 shop rent rec. & 14697/- incl.(13319 S.Tax+1681 Rent rec)
Suresh Kumr & Sons	14697	1378 13319	0	502380 /15.05.2018 504418 /19.06.2018	15000/- incl (S.Tax 1378 +13622 shop rent rec. & 14697/- incl.(13319 S.Tax+1681 Rent rec)
Suresh Kumar Mohan Lal-II	42204	10000 32204	0	502347 /15.03.2018 504663 /06.08.2018	
Ankaj Fruit Co.	15151	15151	0	502355 /21.03.2018	
Mani Mahesh Fruit Co.	3789	3789	0	504416 /18.06.2018	
vijay Dogra & Company	8640	8640	0	502357 /24.03.2018	34839/- incl(8640 S.Tax+7997 Shop rent recov and 18202 rent penalty)
Jagdish Lal Anil Kumar	1931	1931	0	502340 /08.03.2017	
Lalu Pawan Tea Stall	645	645	0	502358 /26.03.2018	
	318981	318981			

]

Name of the Firm	Service-tax due	S-tax recovered	Pending recovery	Receipt no & Date	
Gulwant Fruit Company shop No. 1	14097	14097	0	503629/16.03.2018	
Hardesh Kumar Naveen Kumar	14097	3000 3200 3000 3000 1800	97	503943/10.04.2018, 504147/08.05.2018, 504351/15.06.2018, 504822/28.08.2018, 505434/26.09.2018	
Vaishnoo Fruit Company Shop No. 3	14097	3000 3200	7897	503949/10.04.2018, 504142/08.05.2018	
Bhola Fruit Company	14097	3524	10573	504342/13.06.2018	
Kangoo Fruit Company	14097	14097	0	504151/08.05.2018	

Sagar Fruit Company	14096	3524 3524 3524 3524	0	503697/28.03.2018, 504141/08.05.2018, 504353/15.06.2018,504627/25.07.2018	
Chopra Fruit Company	14096	14096	0	502353/21.03.2018	42302/- includes (Rent Recovery 12,306/- + Service-tax recovery 14,096/- and shop rent penalty 15,900/-)
Chand Fruit company	14096	3200 3300 3524	4072	504157/08.05.18, 504882/11.09.18,505435/25.09.18	
Gulwant Fruit Company shop No. 11	14096	14096	0	503629/16.03.2018	
Guru Kirpa Fruit Company	15836	3524 3524	8788	504690/10.08.2018, 505436/26.09.2018	
Vaishnoo Fruit Company Shop No. 8	15262	3000 3200 3500	5562	503950/10.04.18, 504144/08.05.18,504349/15.06.18	
Ganesh fruit Company	1804	0	1804		
Parmar Fruit Company	9311	0	9311		
Neetu Tea Stall	48	0	48		
Patial Fruit Company	6406	0	6406		
	175536	120978	54558		

Name of the Firm	Service-tax due	S-tax recovered	Pending recovery	Receipt no & Date	
Thakur Fruit Company	4842	4671	171	Adjusted in refund of Shop Security	
Vishal Fruit Company	4842	4822 20	0	503287/09.03.2018, 504191/26.05.2018	
Surender Singhs & Sons	4842	4671 151 20	0	501032/16.06.17, 503278/03.03.18,504189/26.05.18	
Dhani Ram & Brothers	4842	4671 151 20	0	501036/16.06.17, 503276/03.03.18,504190/26.05.18	
Himachal Fruit Company	4842	1575 3096 171	0	Rs. 1575/-Adjusted in refund of Shop Security, Rs.3267/- received vide receipt no. 504699/14.08.2018 &	3696/- incld (3096 S.tax recovery + 600 s.tax of three month)

				504700/14.08.2018	
Luxmi Fruit Company	4842	4671	171	Adjusted in refund of Shop Security	
Saini Javik Fruit Company	4842	4671	171	Adjusted in refund of Shop Security	
Jahu Medical Herbs	4842	4671 171	0	Rs. 4671/- Adjusted in refund of Shop Security, Rs. 171/- received vide receipt No. 503255/09.02.2018	
Sandhu Foodgrains	4610	0	4610		
Bharat foodgrains Traders	4610	4610	0	503248/30.01.2018	
Ramesh Traders-II	13623	13141 482	0	501029/16.06.2017, 503254/09.02.2018	
	61579	56456	5123		

12 पैरा- 12 अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	19
वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित पैरे	11
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	8
अन्तशेष	22